महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2014-15/OG-GO/ दिनांक / Date : 06.2015

To
The Director of Treasuries and Accounts
Andhra Pradesh
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 119% from 01.07.2015 To pensioners and family pensioners of Bihar Govt.
Ref: 1. Govt of Bihar No 3A-3/DR/08-2013-7922/ V dt 09.09.2015.
2. Accountant General (A&E) Bihar SSA lr No. Pen-IX-Spl.Seal Authority No.787dt 08.10.2015

***

I am to enclose herewith a copy of Govt. order issued by the Bihar Govt. and received under Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr.Accounts Officer

4/11

Copy to

1. The Joint Director
   HQR Treasury
   Tilak Road, Abids
   HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr.Accounts Officer

दू.भ./ Phone : 040 - 23236810 - 19
फैक्स/ Fax : 040 - 23232441
ई.मेल/ Email : agaeandhrapradesh@cag.gov.in
website : http://ag.ap.nic.in

EF213364477
xx

INWARD
20 OCT 2015
Telangana, Hyderabad-500 004.

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

...scal Authority No:- 784 Dated 08-10-2015

397327
30/10/15

...ccountant General (A&E)
Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad-500004

...of Dearness relief of State Government Pensioners,
...Govt. Resolution No.

(1) increased to DA 113% to 119% w.e.f 01.07.2015

...forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar
...Resolution No. .... Dated .... for your notification.
...are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and
...anks in your Jurisdiction for necessary action.
...acknowledge the receipt of the same with enclosure.

(1) संकल्प - 3प - 3 - वे०पु० (भत्ता - 08/2013 - 7922/वि० ...of Bihar Govt.
...tion No. 7715 - 09.09.2015

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

OGP

...A-Spl.-Bihar Date
...for information and necessary action to:
...ecretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna
...Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidyalanakshi Sadan,
...Krishna Puri, Patna-800013.
...Officer I.T.A./Pension-1.

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna.

संख्या–3ए–3–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–**7922/वि०**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः–**09/09/2015**

विषयः–राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक–01/07/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–4725 दिनांक– 25/05/2015 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक–01/01/2015 के प्रभाव से 113 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09/09/2015 को केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक–01/07/2015 के प्रभाव से 6 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए महंगाई भत्ता की दर को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है ।

3. उक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक– 01/07/2015 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे के योग पर महंगाई भत्ता आकलित किया जाएगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा ।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ते की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा ।

4. इस बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक–01/07/2015 से भुगतेय है और इसका भुगतान सितंबर, 2015 के वेतन में जोड़कर होगा, परंतु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह अक्टूबर, 2015 में किया जायेगा ।

5. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी ।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे0पु0 (भत्ता)–08/2013–**7922/वि0** पटना, दिनांकः–**09/09/2015**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एच0आर0 श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

A.G.B.
PATNA